

तारीख हुकम	न्यायालय उपखण्ड इन्डिया रायपुर हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज वसुधु विद्याना देवी एस नन्दराव	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
---------------	---	--

12-7-21

पत्रावली कायदा वादियों के दोष से
 वसुधु रायना पर पर 2500 रु
 मूल अथवा के साथ पेश हुई मूल
 अथवा वादियों की रायना पर वारिज
 किया गया हुआ है कया मूल अथ
 को रायनी में पर रायना पर 212
 रा. न भी मद्र पास 7.9 इमी सेज
 पर वारिज किया गया है पत्रावली
 केवल सुमार देखा बाद तबकाम
 शामिल करके उक्त सुमाद
 माल्य ४

उपखण्ड अधिकारी
 राजाखेड़ा (धौलपुर)